

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजनान्तर्गत मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला-कटिहार में 04 वर्गकक्ष का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) को द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹29.79427/- लाख (उन्तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ सताईस रुपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला-कटिहार में 04 वर्गकक्ष का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) द्वारा प्राक्कलित राशि ₹45.564/- लाख (पैंतालीस लाख छप्पन हजार चार सौ रूपये) मात्र का अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था। उक्त अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर निर्माण कार्य हेतु ₹45.564/- लाख (पैंतालीस लाख छप्पन हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-200, दिनांक-01.07.2025 के द्वारा राशि ₹11.00/- लाख (ग्यारह लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य प्रगति के आधार पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) को द्वितीय किस्त के रूप में ₹29.79427/- लाख (उन्तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ सताईस रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि ₹29.79427/- लाख (उन्तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ सताईस रूपये) मात्र बजट माँग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 4225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत, उपमुख्य शीर्ष 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 051- निर्माण, उपशीर्ष 0102-बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना, विस्तृत शीर्ष-53-मुख्य कार्य, विषय शीर्ष-01-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-30-4225040510102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना)द्वारा किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹29.79427/- लाख (उन्तीस लाख उन्नासी हजार चार सौ सताईस रूपये) मात्र Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पी०एल० खाता में विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC Form-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से अंतरित की जायेगी। पी०एल० खाता से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :-

(कृ०पृ०उ०)

PL Code :- PTSPLA011
 PL Name :- Bihar Local Area Development Agency (BLADA)
 योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
 Ledger Id :- 20162

5. BLADA द्वारा स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी एवं उपयोग वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि०(2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8. वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में यथा संशोधित वर्णित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।
9. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
10. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-4989/वि० दिनांक-16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।
11. कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का निर्माण कार्य के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के द्वारा इससे संबंधित सभी अद्यतन निदेश/आदेश का अनुपालन किया जाना संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।
13. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, कटिहार के द्वारा की जायेगी एवं समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।
14. उपर्युक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-07-म०-30 / 2023..... /

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-07-म०-30 / 2023..... /

प्रतिलिपि-सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

(03)

ज्ञापांक-अ०सं०क०-07-म०-30 / 2023..... / पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि-प्रशासी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1374, दिनांक-
07.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण
पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक 01/06/26

ज्ञापांक-अ०सं०क०-07-म०-30 / 2023..... 120 /
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/उप सचिव-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा
शाखा/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक 01/06